

Erratic behaviour of Stock Market

2488. SHRI ISH DUTT YADAV:
SHRI RAM GOPAL YADAV:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are satisfied with the behaviour of stock market;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) the reasons for the erratic behaviour of the stock market and the role of foreign investors in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) and (b) The main concern of Government policy is to ensure that stock markets operate in an orderly and transparent manner in full compliance with the rules and regulations of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for protecting the rights of the investors and for maintaining the confidence of the investors in the stock market.

(c) There are various factors which affect the movement of prices of shares. Some of these factors relate to the expectations of investors regarding the performance of the corporate sector and the economy in general, perceptions of the investors about economic policies of the Government, developments in international capital markets and speculative activity. The transactions of the Foreign Institutional Investors (FII) in the Indian stock market are governed by SEBI Foreign Institutional Investors) Regulations. FIIs are allowed to transact in securities only on a delivery basis. In view of these factors, it may not be appropriate to attribute the fluctuations in the stock market to transactions by FIIs.

बैंक स्पोर्ट्स में टीम इवेन्ट्स

2489. श्री सतीश प्रधान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक-खेलों में टीम इवेन्ट्स का महत्व कम हुआ है;

(ख) क्या बैंकों को टीम इवेन्ट्स में हिस्सा लेने के मामले में कठिनाइयां पेश आती हैं; और

(ग) क्या भर्ती के संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा जारी किया गया परिपत्र इस स्थिति का कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) ने सूचित किया है कि बैंक स्पोर्ट्स बोर्ड (बी एस बी) के तत्वाधान में बैंक के खिलाड़ियों का क्षेत्रीय/अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बी एस बी कुछ खेलों में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भी भाग लेता है। आई बी ए ने यह भी सूचित किया है कि सामान्य भर्ती माध्यम से बाहर भर्ती किए जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार, सामान्य भर्ती के एक प्रतिशत के बराबर है और उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि यह उच्चतम सीमा किसी भी तरह खिलाड़ियों की भर्ती में बाधक नहीं है।

Penal Interest on Bank Loans

2490. SHRI R. MARGABANDU:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether penal interest can be dispensed with for the bank loans; and

(b) whether moratorium laws will be made applicable for agriculturists loan and Agricultural Debt Relief Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) The Reserve Bank of India (RBI) have reported that in the matter of lending to priority sector which includes advances to Agriculturists and weaker sections, commercial banks have been advised that:—

(a) The policy of levying penal rates should be implemented with

discrimination and selectivity. The decisions on penal rate should be taken at a fairly higher level in each bank.

(b) No penal interest should be charged for loans upto Rs. 25,000/-

(c) For limits over Rs. 25,000, the aggregate penal/additional interest should not exceed 2 per cent over and above the rate of interest applicable/normally charged to the borrowers.

(b) Presumably the Hon'ble Member is referring to postponement of loan recovery in favour of agriculturists, for a temporary duration in situations of natural calamities. The major share of agriculture loans to agriculturists are disbursed through cooperative institutions. Directions to cooperative institutions to suspend recoveries against agricultural loans are issued by the State Governments in cases of natural calamities, if and when such suspension is warranted.

इलाहाबाद बैंक की नई पेंशन योजना

2491. श्रीमती कमला सिन्हा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद बैंक ने एक नई पेंशन योजना लागू की है और अपने कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो नई पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 1989 तक से 1990 तक सेवा निवृत्त हुए बैंक कर्मचारियों की आश्रित विधवाओं को पेंशन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में बैंक की उन शाखाओं की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान ये आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) निपटारे गये आवेदनों की संख्या कितनी है और बैंक के पास कितने आवेदन लंबित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास पारिवारिक पेंशन का कोई मामला लंबित नहीं है, सिवाय उन व्यक्तियों के, जिन्होंने नए पेंशन विनियमों की शर्तों के अनुरूप भविष्य निधि से नियोजता का अंशदान नहीं लौटाया है।

(ग) से (ङ) इलाहाबाद बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में उन शाखाओं की संख्या जिन्हें पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है:—

राज्य	उन शाखाओं की संख्या जिन्हें आवेदन प्राप्त हुए	इन शाखाओं द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या
उत्तर प्रदेश	46	65
राजस्थान	शून्य	शून्य
बिहार	8	12
पश्चिम बंगाल	37	50

(आंकड़े अर्न्ततम)